कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

कन्हैया लाल बनाम मोहन लाल

धारा 111-128 वाद / प्रा0प0 / अपील 31/18 प्र0सं0 ~~/15~~

18.4.18 बाद जॉच ~~वाद~~ / ~~प्रा0प0~~ / ~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 14-6-18 को पेश हो।

8/5/18

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

14.6.18

पत्रावली भीलवाड़ा कोर्ट कैम्प पर पेश। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ओज्याडा

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः– 31/18

1. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जी पारीक निवासी औज्याडा

––प्रार्थीगण

बनाम

1.गोपाल पिता मोहनलाल जी पारीक निवासी ओज्याडा

2.श्रीमति सुन्दर देवी पत्नी माधूलाल जी माली निवासी आटूण तहसील भीलवाडा

3.श्रीमति लेहरीदेवी पत्नी गंगाराम जी माली निवासी आटूण

4.श्रीमति छोटादेवी पत्नी नानू जी माली निवासी आटूण

5.श्रीमति झूमादेवी पत्नी कालुलाल जी माली निवासी आटूण

6.श्रीमति राजीदेवी पत्नी लैला जी अहीर निवासी तख्तपुरा

7.शंकरलाल,अमृतलाल, नवरत्न, प्रकाशचन्द,राकेश कुमार, प्रह्लाद पिता मांगीलाल जी सुनार निवासी ओज्याडा

8.राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार हमीरगढ

––विपक्षीगण

–––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः– 14/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याडा पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरिक्षक हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 2083, 2084, 2085/2, 2092/1, 2093/1 कुल किता 5 रकबा 06 बीघा 00 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/04/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरिक्षक हमीरगढ की आराजी नम्बर 2083, 2084, 2085/2, 2092/1, 2093/1 कुल किता 5 रकबा 06 बीघा 00 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 600/–रू0 (अक्षरे– छः सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें।

अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपि:– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ